<u>जनपद बाराबंकी</u>

दिनांक 05.09.2020

थाना दरियाबाद पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से आम की कीमती लकड़ी बरामद।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा अवैध लकड़ी कटान करने/परिवहन करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के दिशा निर्देश व क्षेत्राधिकारी रामसनेही घाट के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक दरियाबाद श्री सुमित कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 04.09.2020 को अभियुक्त जावेद पुत्र रमजान अली निवासी नागापुर थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी को समय 14.30 बजे जीवन धारा अस्पताल मोड़ कस्बा दरियाबाद से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से ट्रैक्टर ट्राली में अवैध एक बोटा आम की लकड़ी बरामद किया गया। अभियुक्त से उक्त ट्रैक्टर ट्राली के कागजात मौके पर मांगे गये तो अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वैध प्रपत्र नहीं दिखाया जा सका। जिससे ट्रैक्टर ट्राली को अन्तर्गत धारा 207 एमबी एक्ट में सीज किया गया। थाना दरियाबाद पुलिस द्वारा तत्परता से अभियुक्त के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए थाना दरियाबाद पर मु0अ0सं0 213/2020 धारा 3/8 मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम पंजीकृत किया गया।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

जावेद पुत्र रमजान अली निवासी नागापुर थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी।

<u>गिरफ्तारी का स्थान–</u>

दिनांक 04.09.2020 को समय 14.30 बजे जीवन धारा अस्पताल मोड़ कस्बा दरियाबाद जनपद बाराबंकी।

<u>बरामदगी-</u>

1. एक बोटा आम की लकड़ी (वजन करीब 35 कुन्तल)
2. एक ट्रैक्टर ट्राली आयशर नं0 यूपी 44ई 7796

<u>पुलिस टीम-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक दरियाबाद श्री सुमित कुमार श्रीवास्तव जनपद बाराबंकी।
2. उ0नि0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी।
3. का0 गोविन्द कुमार थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी।
4. म0का0 आरती यादव, म0का0 दिव्या त्रिपाठी थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी।